अध्याय–III

लेन–देनों की लेखापरीक्षा

3.1 सन्देहास्पद एवं अधोमानक कार्य

सन्देहास्पद एवं अधोमानक नाला निर्माण पर ₹ 4.06 लाख का व्यय।

वित्तीय नियमों[7] में यह व्यवस्था है कि सभी कार्य जिनकी मापी किया जा सके तथा सभी आपूर्ति का भुगतान माप पुस्तिका में किये मापी के आधार पर किया जाये। चूंकि कार्य एवं आपूर्ति के लिये सभी भुगतान माप पुस्तिका में प्रविष्टि की गयी मात्रा पर आधारित होते हैं अतः यह मापी लेने वाले पदस्थ व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि वह मात्रा को स्पष्ट एवं सही–सही अंकित करें।

खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत जरवल (बी डी ओ) ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (एन आर ई जी एस) के अन्तर्गत 495 मी0 लम्बी नाली[8] के निर्माण के लिए ₹ 4.99 लाख का आगणन स्वीकृत किया। आगणन के अनुसार ₹ 3,700/– प्रति हजार की दर से 59,184 ईट के लिए ₹ 2,18,981/– तथा ₹ 280/– प्रति बैग की दर से 443 बैग सीमेन्ट के लिए ₹ 1,24,040/– के साथ अन्य निर्माण सामग्री की आवश्यकता थी।

खण्ड विकास अधिकारी के अभिलेखों की जॉच (दिसम्बर 2010) में यह पाया गया कि ₹ 4.06[9] लाख व्यय करके 490 मी. लम्बी नाली का निर्माण (अक्टूबर–दिसम्बर 2009) कराया गया था। प्रथम मापी के समय 20,000 ईटों की आपूर्ति की गिनती 40,000 करके मापी प्रविष्टि किया गया तथा ₹ 1.48 लाख का भुगतान किया गया, फलस्वरूप ₹ 74,000/– का अधिक भुगतान हुआ। माप पुस्तिका संख्या 23 भाग–II के पृष्ठ सं0–2 पर अंकित मापी के अनुसार कार्य प्रारम्भ तथा पूर्ण किये जाने की तिथि क्रमशः 16.12.2009 तथा 30.12.2009 प्रविष्टि किया गया जबकि मापी किये जाने की तिथि 05.12.2009 प्रविष्टि किया गया अर्थात मापी की तिथि कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि से पूर्व थी। आगे मात्र 20,740 ईटों तथा 375 बैग सीमेन्ट की वास्तविक आपूर्ति की जगह 46, 731 ईटों व 383 बैग सीमेन्ट का उपभोग दर्शाया गया। इस तरह माप पुस्तिका में की गयी प्रविष्टियों तथा

---

[7] वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–V। प्रस्तर–434 एवं 435 (डी)।

[8] आदमपुर में मस्जिद से राम अवध के घर तक।

[9] सामग्री ₹ 3,47,627 एवं श्रम ₹ 58,600 [(i) ईटों, ईटों के बैलास्ट की आपूर्ति के लिए प्रथम रनिंग बिल का भुगतान ₹ 163,525 द्वारा माप पुस्तिका संख्या–23 पृष्ठ 1–3 दिनांक शून्य (ii) सीमेन्ट, कोर्स सैण्ड एवं फाइनसैण्ड की आपूर्ति के लिए ₹ 1,05,654 द्वारा माप पुस्तिका संख्या–23 पृष्ठ सं0–4–5 दिनांक शून्य (iii) श्रमांश का भुगतान ₹ 34,300 द्वारा माप पुस्तिका सं0–23 पृष्ठ सं0 6–8 दिनांक 5.11.09, (iv) ईटों व ईटों के बैलास्ट की आपूर्ति के लिए ₹ 32,888 द्वारा माप पुस्तिका सं0–23 प्रथम पार्ट पृष्ठ सं0–9 दिनांक 24.12.2009 (v) फाइन सैण्ड, कोर्स सैण्ड, सीमेन्ट व 20 मिमी पत्थर ग्रिट, लोहे की छड़ की आपूर्ति के लिए ₹ 45,560 द्वारा माप पुस्तिका सं0–23 प्रथम पार्ट पृष्ठ सं0– 10–11 दिनांक शून्य (vi) श्रमांश का भुगतान ₹ 24,300 द्वारा माप पुस्तिका संख्या– 23 द्वितीय पार्ट पृष्ठ सं0 2–5 दि0 5.12.2009]

इसमें प्रदर्शित सामग्री का उपभोग आपूर्ति से अधिक होने के कारण कराया गया कार्य सन्देहास्पद एवं अधोमानक था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, खण्ड विकास अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2010) कि त्रुटियों का सुधार किया जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भुगतान के पूर्व माप पुस्तिका में प्रविष्टियों की जॉच किया गया था। अतः सन्देहास्पद एवं अधोमानक कार्य पर ₹ 4.06 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (अक्टूबर 2011); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2012)।

3.2 अनियमित व्यय

बारहवें वित्त आयोग के अनुदान की धनराशि से ठेलिया क्रय में ₹ 10.04 लाख का अनियमित व्यय

बारहवें वित्त आयोग (टी एफ सी) के दिशा निर्देशों के अनुसार (जून 2005) पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.) को अवमुक्त अनुदान का उपयोग पेयजल एवं सफाई सुविधाओं के बिस्तार तथा रख–रखाव में किया जा सकता है, लेकिन जहां किसी पंचायत के अन्तर्गत कोई पेयजल व सफाई की परिसम्पत्तियॉ न हो, निधि का उपयोग अन्य जन सुविधाओं[10] के रख–रखाव में किया जा सकता है। यद्यपि इस योजना के अन्तर्गत किसी उद्देश्य के लिए व्यक्तिविशेष को लाभ पहुंचाने के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

क्षेत्र पंचायत सिरौली गौसपुर जनपद बाराबंकी के अभिलेखों की जॉच (दिसम्बर 2010) में यह पाया गया कि क्षेत्र पंचायत ने (नवम्बर 2007) वित्तीय नियमों[11] व प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए बारहवें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग करके गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति के व्यक्तिगत लाभार्थियों को कूड़े के निस्तारण और उनके जीवकोपार्जन के लिए ठेलिया[12] का क्रय व वितरण का अनुमोदन किया। अग्रेत्तर जॉच में पाया गया कि 163 ठेलिया में से 150 बिल सं0 11 दिनांक 27.6.2008 तथा 13 ठेलिया बिल सं0–16 दिनांक 20.7.2008 द्वारा प्राप्त किये गये । इन ठेलियों को चयनित लाभार्थियां को एक समारोह में दिनांक 3.6.2008 को अर्थात ठेलिया क्रय की तिथि से 24 दिन पूर्व वितरित किया गया।

---

[10] सम्पर्क मार्ग, प्रथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, मार्ग प्रकाश, सामुदायिक परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण जैसे कब्रिस्तान एवं क्रेमेटोरियम

[11] तीन पहिये वाली ट्राली।

[12] ₹ एक लाख एवं ऊपर का क्रय निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर खण्ड विकास अधिकारी ने स्वीकार किया (जुलाई 2011) कि ठेलिया क्रय किया जाना अनुमन्य नही था। इस प्रकार खण्ड विकास अधिकारी द्वारा बारहवें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों की अवहेलना करके ₹ 10.04 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अक्टूबर 2011) उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2012)।

3.3 निष्फल व्यय

अधूरे सड़क निर्माण पर ₹ 9.53 लाख का निष्फल व्यय ।

आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ने अपने परिपत्र (अक्टूबर 2006) द्वारा निर्देशित किया था कि आई आर सीः एसपी–20 मानक के अनुसार प्रत्येक एक किलोमीटर ग्रामीण सड़क में कम से कम दो 900 मिमी हयूम पाइप कल्वर्ट का प्रावधान किया जाये। क्षेत्र पंचायत बंगरा जिला झॉसी के अभिलेखों की जॉच (जुलाई 2010) में यह पाया गया कि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड झांसी द्वारा राज्य वित्त आयोग के अनुदान से 3.30 किमी लम्बी देवरी सिंघपुरा सुखनी नदी के बगल से ज्योर्जतारा तिगैला तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के लिये ₹ 9.59 लाख के आगणन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (अक्टूबर 2006) किया गया। स्वीकृति प्रदान करते समय अधिशासी अभियन्ता द्वारा यह शर्त रखी कि जैसा कि आगणन के प्रतिवेदन में कहा गया है कि आगामी वर्षा के मौसम से पूर्व सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत तीन कल्वर्ट का कार्य जिन्हें निर्माणाधीन कहा गया है, को अवश्य पूर्ण कर लिया जाये जिससे सम्पर्क मार्ग नष्ट न हो। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान (नवम्बर 2006) किया गया तथा न्यूनतम निविदादाता को कार्यादेश निर्गत (नवम्बर 2006) किया गया। सड़क पर मिट्टी का कार्य दिसम्बर 2006 तक पूर्ण किया गया। यद्यपि जुलाई 2010 तक कल्वर्ट का निर्माण नहीं किया गया था। खण्ड विकास अधिकारी ने अपने उत्तर में (जुलाई 2011) अवगत कराया कि कल्वर्ट निर्माण कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार ग्राम्य विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देशों की अवहेलना करने के साथ अधिशासी अभियन्ता द्वारा आगणन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय लगायी गयी शर्त के विपरीत सड़क निर्माण कराया गया अर्थात मानक के अनुसार आवश्यक 6 कल्वर्ट के विरूद्ध कोई कल्वर्ट निर्माण नहीं कराया गया। कल्वर्ट की अनुपस्थिति में सड़क अपूर्ण थी एवं जिस उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया गया था (जैसा प्रतिवेदन में कहा गया है, किसानों की उपज को बाजार तक ले जाने के लिए) सभी मौसम में उस प्रयोजन के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता था।

इस प्रकार अपूर्ण सम्पर्क मार्ग के निर्माण पर ₹ 9.53 लाख का व्यय निष्फल था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (फरवरी 2011), उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2012)।

3.4 ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण पर परिहार्य व्यय

ग्रामीण सम्पर्क मार्ग के निर्माण पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का निर्धारित विशिष्टियों का पालन न किये जाने के कारण ₹ 14.24 लाख का परिहार्य व्यय।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग (सा.नि.वि.) ने यह विशिष्टियॉ (जून 2007) निर्धारित किया है कि यदि ग्रामीण सम्पर्क सड़क के लिए प्रीमिक्स कारपेटिंग (पी सी) का प्रावधान किया गया है तो टाप कोट/ वाटर बाउंड मैकेडम (डब्ल्यू बी एम) सतह के ऊपर प्राइम कोट[13] के पश्चात प्रीमिक्स कोट व सील कोट सीधे कराया जा सकता है अर्थात प्रथम कोट पेन्टिग (पी–1) कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

जिला पंचायत कौशाम्बी (जि पं) के अभिलेखों के परीक्षण करने पर यह पाया गया कि (दिसम्बर 2010) पॉच ग्रामीण सम्पर्क मार्ग जिनका कुल सतह क्षेत्रफल 15,414 वर्गमीटर था, का जून 2009 एवं जून 2010 के मध्य डब्ल्यू वीएम एवं पीसी के बीच पी–1 डालकर निर्माण किया गया जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के विपरीत था। पी–1 कराने पर कुल व्यय ₹ 18.80 लाख किया गया जबकि सार्वजनिक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार प्राइम कोट कराने पर ₹ 4.56 लाख व्यय होता। इस प्रकार जिला पंचायत ने विशिष्टियों का पालन न करके ₹ 14.24 लाख का परिहार्य व्यय किया **(परिशिष्ट 3.1)**।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अपर मुख्य अधिकारी ने अवगत कराया कि (दिसम्बर 2010) पूर्व प्रचलित मानक के अनुसार पी–1 कराया गया था परन्तु अब पीसी मार्ग के लिए डब्ल्यू बीएम के ऊपर केवल प्राइम कोट कराये जाने की विशिष्टियों का पालन किया जा रहा है। उत्तर स्वतः स्पष्ट है कि जिला पंचायत ने सड़क निर्माण के समय प्रभावी सार्वजनिक निर्माण विभाग की विशिष्टि का पालन नहीं किया तथा ₹ 14.24 लाख का परिहार्य व्यय किया। इस प्रकार जिला पंचायत द्वारा ग्रामीण सम्पर्क मार्गो के निर्माण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा निर्धारित संशोधित विशिष्टि का पालन न किये जाने के फलस्वरूप ₹ 14.24 लाख परिहार्य व्यय हुआ।

[13] विशिष्टि मात्रा (75 किग्रा प्रति 100 वर्ग मीटर) में कम सेटेल होने वाले इमलशन के साथ। क्योंकि कम सेटेल होने वाले इमलशन की दर जो कि सामान्यतया मैक्सफाल्ट की दर से कम रहती हे, उपलब्ध नहीं था क्योंकि इकाई द्वारा कम सेटेल होने वाले इमलशन की आपूर्ति प्राप्त नहीं किया गया था, कम सेटेल होने वाले इमलशन का मूल्य कार्य में प्रयुक्त मैक्सफाल्ट की दर पर गणना किया गया था।

इस प्रकरण को शासन को (सितम्बर 2011) सन्दर्भित किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2012)।

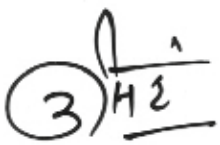

इलाहाबाद
दिनांक

यू.पी. सिंह सिसोदिया
उपमहालेखाकार
स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

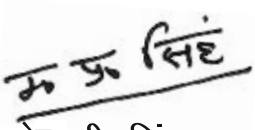

इलाहाबाद
दिनांक

मुकेश पी. सिंह
प्रधान महालेखाकार
(सिविल आडिट) उत्तर प्रदेश